**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **मलसीसर**

**मो0 हस्सन हुसैन** बनाम **राज0 सरकार**

किस्म मुकदमा : प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 राज. भू–राजस्व अधि0 मु0न0 **25** सन् **2025**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28.04.2025 | आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मोहम्मद रशीद खान द्वारा बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना मय नकल प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड एडी से जारी होकर पत्रावली वास्ते तलवी हेतु आईन्दा दिनांक 14.05.2025 को पेश हो। | |
| 14/5/25 | वकुलाय उप.। मिसल वास्ते तलबी हेतु आइन्दा दिनांक 18/6/25 को पेश हो। | |
| 18/6/25 | वकुलाय उप0। जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार को जावे हो। मिसल वास्ते रिपोर्ट आइन्दा दिनांक 16/7/25 को पेश हो। | |
| 16/7/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 20/8/25 को पेश हो | |
| 20/8/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 24/9/25 को पेश हो | |
| 24/9/25 | पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण न्यायालयों में कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार आयन्दा दिनांक 1/10/25 को पेश हो | |
| 1/10/25 | वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 116, 117, 118, 119, 144, 149, 190, 191, 238, 240, 81, 93 कुल किता 13 कुल रकबा 13.64 है0 तथा ख0न0 148 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती खां पुत्र ज्यान खान के बजाय दस्तावेजी व सही नाम मो0 हस्सन हुसैन पुत्र ज्यान खान दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का निवेदन किया। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1806 दिनांक 10.09.2025 के द्वारा प्रार्थी का नाम मोती खां पुत्र ज्यान खान के स्थान पर मो0 हस्सन हुसैन पुत्र ज्यान खान दुरूस्त किया जाना उचित बताया है। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी स्वयं के शपथ पत्र तथा तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।<br><br>निर्णय<br><br>अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जमीन जैर बहस ख0न0 116, 117, 118, 119, 144, 149, 190, 191, 238, 240, 81, 93 कुल किता 12 कुल रकबा 13.64 है0 तथा ख0न0 148 रकबा 1.00 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मोती खां पुत्र ज्यान खान के बजाय दस्तावेजी व सही नाम मो0 हस्सन हुसैन पुत्र ज्यान खान दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार मलसीसर को पालनार्थ भेजी जावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। | |